**विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0–08 का उत्तर ।**

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 8(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम–चतुरी खेड़ा, थाना–मलिहाबाद, जनपद लखनऊ में दबंगों द्वारा किसानों की आम की बाग में आग लगाये जाने के बावजूद भी स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा मुकद्मा न पंजीकृत किये जाने एवं पीड़ित पक्ष के ऊपर भी 151 / 107 / 116 की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का उल्लेख करते हुए दबंगों के विरूद्ध मुकद्मा पंजीकृत कर कार्यवाही किये जाने हेतु दीपक सिंह, सभापति, विनियमन समीक्षा समिति, उ0प्र0 का पत्र दिनांक 22 जून, 2022 जोकि आपको सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? | जी नहीं।<br><br>आवेदक श्री रामदुलारे पुत्र स्व श्री राम, निवासी ग्राम चतुरीखेड़ा, थाना मलिहाबाद, लखनऊ के विरूद्ध नन्हे पुत्र भगवानदीन, निवासी उपरोक्त ने दिनांक 15.06.2022 को प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें विपक्षी द्वारा भूमि व मकान को हड़पने की नियत से कई बार गाली–गलौज एवं मारपीट का उल्लेख किया है, जिसके सम्बन्ध में उप निरीक्षक, श्री बृजपाल सिंह, थाना मलिहाबाद से जांच करायी गयी। जांचोपरान्त दोनों पक्षों में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा–151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी। |
| (ख) यदि हां, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या–क्या थे और सभी मुख्य बिन्दुओं पर कार्यवाही करा दी गई है? | उपरोक्तानुसार। |
| (ग) क्या उक्त के क्रम में दिनांक 23 जून, 2022 द्वारा क्षेत्राधिकारी मलिहाबाद, लखनऊ द्वारा अपनी आख्या में आग लगाये जाने का उल्लेख भी किया गया है? | जी हाँ। विधिक कार्यवाही की जा चुकी है। |
| (घ) यदि हां, तो आग लगाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही और किस धारा के अन्तर्गत हुई है? | आग लगाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध थाना मलिहाबाद, लखनऊ में पंजीकृत कराये गये मु0अ0सं0–268 / 2022, धारा–435 भादवि में विवेचनोपरान्त दिनांक 13.07.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। |

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।